

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./मे.किसलय/649/ ११२

भोपाल दिनांक २४/ ०२/२०२२

प्रति,

१ प्रबंधक,

Kislay Veggifarm Pvt. Ltd

एलआईजी-165, हषवर्धन नगर, भोपाल।

२ Kislay Veggifarm Pvt. Ltd,

जे ९, १०, ११/१, एमआईडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, हिंगना,

नागपुर, मुख्यालय

विषय:-म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुजप्ति स्वीकृत करने के संबंध में

संदर्भ:-आपका पत्र दिनांक ११/११/२०२१

म.प्र. कृषि उपज मण्डी(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुजप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमे कृषि उपज मण्डी समिति पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा केक्षेत्रान्तर्गत के क्षेत्रान्तर्गत प्रशान्त टेडर्स टेलिफोन एक्सचेंज के पास, नागपुर-भोपाल हाईवे ग्राम सिवनी पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा क्रय केन्द्र हेतु कृषि उपज धान्य तथा दलहन का कारोबार किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है।

आपके द्वारा नवीन विशेष अनुजप्ति के लिये जाने हेतु नियम-2009 के नियम ४(२) के अधीन विनिर्दिष्ट समूह (पांच) - धान्य तथा दलहन की खरीदी हेतु आवेदन मे उल्लेख किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-क के अधीन म०प्र०कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम ४, ८, १०, १२ के अनुसार Kislay Veggifarm Pvt. Ltd. bhopalm0प्र० को कृषि उपज मण्डी समिति पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा के क्षेत्रान्तर्गत प्रशान्त टेडर्स टेलिफोन एक्सचेंज के पास, नागपुर-भोपाल हाईवे ग्राम सिवनी पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा क्रय-केन्द्र मे अधिसूचित कृषि उपज केवल विनिर्दिष्ट समूह-(पांच) धान्य तथा दलहन के लिए एक वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से विशेष अनुजप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुजप्ति का प्ररूप-३ में परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(विकास सरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/गवालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।मेरसर्स किसलय वेगीफार्म प्रा०लि०, भोपाल म०प्र० को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति) नियम, 2009(यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति पाठुर्णा जिला छिन्दवाडा के क्षेत्रान्तर्गत प्रशान्त टेडर्स टेलिफोन एक्सचेंज के पास, नागपुर-भोपाल हाईवे ग्राम सिवनी पाठुर्णा जिला छिन्दवाडा क्रय-केन्द्र मे उपरोक्तानुसार विशेष अनुजप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुजप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।
2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुजप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुजप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है, की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. चीफ प्रोग्रामर, म०प्र० राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुजप्तिधारीमेरसर्स किसलय वेगीफार्म प्रा०लि०, भोपाल म०प्र० मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुजप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म०प्र० राज्य कृषि विषयन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-अ

प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुजप्ति क्रमांक/एस.एल./2020/12

दिनांक 28/02/2022

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुजप्ति)

1. मेसर्स Kislay Veggiefarm Pvt. Ltd. एलआईजी-165, हषवर्धन नगर, भोपाल म0प्र0 को अधिनियम की धारा 32-के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख 28 माह फरवरी 2022 को विशेष अनुजप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है :-

अनुक्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुजप्ति अनुजप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुजप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मण्डी समिति का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुजप्ति प्रदान की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1.	धान्य तथा दलहन	पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा	कृषि उपज मण्डी समिति पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा	किसलय वेअरहाउस	प्रशान्त टेक्स टेलिफोन एक्सचेंज के पास, नागपुर-भोपाल हाईवे ग्राम सिवनी पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा	श्री अखिल पाठक मैनेजर, एलआईजी-165, हषवर्धन नगर भोपाल। मो0 नं- 9993165569

2- इस अनुजप्ति के अधीन अनुजप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनुक्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए})
	धान्य तथा दलहन	2000 मे0टन

3. अनुजप्तिधारी, इस अनंतिम अनुजप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

preeti/latter

1. इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषकों के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4. यह विशेष अंनतिम अनुजप्ति दिनांक .2.९./०२/२०२२ से २.७./०२/२०२३ तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।
5. यह अंनतिम अनुजप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

- (एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
- (दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
- (तीन) मण्डी फीस का अपवर्चन करने, जारी अनुजापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
- (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
- (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,
- (छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुजप्ति जारीकर्ता

कार्यालय की स्मारक



अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)